Debate in Parliament

Monsoon Session 2011

BJP pushes for a strong Lokpal Bill

SPEAKERS

Lok Sabha	**Rajya Sabha**
Sushma Swaraj	Arun Jaitley
Varun Gandhi	Shanta Kumar

Bharatiya Janata Party

Foreword

In dealing with the India Against Corruption movement launched by the Civil Society members led by Shri Anna Hazare, the Congress-led UPA government committed a series of blunders. Actually it did not want to fight corruption but wanted the people to believe that it was doing so. At no time till the situation went out of the control of Congress did it take the Opposition into confidence. Even the UPA allies were kept out of the loop. On the other hand, it tried to weaken the movement by alleging the hand of BJP and RSS behind the movement.

Bharatiya Janata Party had from day one been in the forefront in its fight against corruption. When Shri Anna Hazare launched his movement, BJP was the first to lend its support for the cause. Corruption touched and tormented every person in the country and as a responsible opposition party it could not afford to keep itself aloof from this issue.

Congress put into operation every trick of the game to defeat the movement. It tried to tarnish the image of those leading it. Congress even tried to divide the Civil Society members to achieve its ends. When every trick of the game fell apart, in panic Prime Minister Dr. Manmohan Singh called an all-party meeting to discuss the issue. But a consensus still eluded.

It was the open support of BJP for the Jan Lokpal Bill under which Prime Minister also came under its purview, and other main demands of the Civil Society members that Congress saw the writing on the wall. It decided to come out with a resolution supporting the three main demands of the Civil Society for which BJP had already expressed its support. With the BJP solidly behind, the motion was adopted unanimously.

In the two Houses of Parliament where the matter was discussed on August 27, 2011, the Leaders of Opposition in Lok Sabha, Smt. Sushma Swaraj, in Rajya Sabha Shri Arun Jaitley as also the Chairman of the BJP Parliamentary Party Shri L. K. Advani took the Manmohan Government to task for its acts of omission and commission. Other BJP members also made their points very forcefully.

We are publishing their speeches in full so that our readers are able to appreciate the issues involved and BJP point of view in the matter.

Publisher,
Bharatiya Janata Party,
11, Ashok Road, New Delhi – 110003

September 2011

■■

लोकसभा

राष्ट्रहित में है प्रभावी लोकपाल : सुषमा स्वराज

गत 27 अगस्त, 2011 को लोकसभा में 'लोकपाल गठन' पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें भाग लेते हुए लोकसभा में विपक्ष की नेता श्री सुषमा स्वराज ने कहा कि यह सदन इतिहास रचेगा और यह इतिहास बिल को निरस्त नहीं होने देगा बल्कि यह सदन हिन्दुस्तान को एक प्रभावी लोकपाल, एक मजबूत लोकपाल इस देश को देने का काम करेगा।

अध्यक्ष महोदया जी, आज नेता सदन ने लोकपाल के गठन से संबंधी पिछला सारा विवरण देते हुए एक विस्तृत वक्तव्य सदन के सामने रखा है। मैं उसी पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सदन के सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आज यह सदन बहुत ही ऐतिहासिक चर्चा कर रहा है। चर्चा सात घंटे की हो, आठ घंटे की हो, दस घंटे की हो या बढ़ा कर बारह घंटे की कर दी जाए, लेकिन चर्चा शांति से हो। मैं अपनी तरफ के तमाम साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मेरी कोई बात उन्हें नागवार गुजरे, जिसके कारण वे थोड़ा उत्तेजित होने लगें तो भी आप शांति बनाए रखें। मैं आपसे भी यह कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी कोई बात पसंद न आए तो आपके वक्ता जो बोलने वाले हैं, वे उसका जवाब दें, जितनी मर्जी आक्रामक भाषा में जवाब दें, लेकिन कम से कम आज इस देश को दिखा दें कि आपने इस संसद के व्यवधानों को तो देखा है, लेकिन यह संसद इतनी शांति और संजीदगी से भी चर्चा कर सकती है, यह भी आज देखें।

अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले सदन को एक जानकारी देना चाहूँगी कि चार अगस्त 2011 को इस सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह विधेयक लोकपाल का पहला विधेयक नहीं है। लोक सभा में 9वीं बार लोकपाल विधेयक आया है। इससे पहले आठ बार लोकपाल विधेयक अलग–अलग लोक सभाओं में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। शायद कुछ लोग यह जानकार

हैरान होंगे कि पहला विधेयक सन् 1968 में आया, उसके बाद सन् 1971 में आया, सन् 1977 में आया, सन् 1985 में आया, सन् 1989 में आया, सन् 1996 में आया, सन् 1998 में आया और सन् 2001 में आया। आठ बार आए ये विधेयक किसी न किसी कारण से पारित नहीं हो सके। पिछले 43 वर्षों से यह बिल हिचकोले खा रहा है। लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और बिल निरस्त हो जाता है और फिर दोबारा किसी अन्य लोक सभा में आने की प्रतीक्षा करता है। हमारे समय में भी यह विधेयक दो बार सन् 1998 और सन् 2001 में आया। हम भी उसे पारित नहीं करा सके।

यूपीए के सात वर्ष के कार्यकाल में यह विधेयक पहली बार आया है। इसलिए इस बार मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जो बार–बार टीम अन्ना आपको समय दे रही है, जिसे सुनकर शायद कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि कोई हमें डिक्टेट कैसे कर सकता है, कोई कैसे कह सकता है कि चार दिन में पारित करो, कोई कैसे कह सकता है कि इसे इसी सत्र में पारित करो। उसके पीछे यह पृष्ठभूमि है कि 43 वर्षों से हम इस बिल को पारित नहीं कर सके हैं। मैं अपने कार्यकाल को भी दोषी मानती हूं। हम भी दो बार वर्ष 1998 में औ र वर्ष 2001 में इस बिल को लाये, लेकिन उसे पारित नहीं करा सके। आज देश हमारी तरफ देख रहा है और इसीलिए अंदर से मेरा एक विश्वास यह कह रहा है कि that every idea has a time. हर विचार का एक समय होता है और आज इस विचार का समय आ गया है। यह सदन इतिहास रचेगा और यह इतिहास बिल को निरस्त नहीं होने देगा बल्कि यह सदन हिन्दुस्तान को एक प्रभावी लोकपाल, एक मजबूत लोकपाल इस देश को देने का काम करेगा। इस विश्वास का एक कारण है। वह कारण यह है कि यह बिल एक जन आन्दोलन बन गया है।

महोदया, आज से पहले जितने भी विधेयक आये, वे चंद बुद्धिजीवियों तक सीमित रहे। बिल आता था, दो–चार सेमिनार्स हो जाती थीं, बिल कब आया, कब गया, कहां गया, इसके बारे में आम जनता को पता नहीं होता था। पहली बार जन लोकपाल बिल के आन्दोलन के नाम से अण्णा हजारे जी ने इस बिल को नीचे जनता तक पहुंचा दिया। जनता ने इसे अपना भी लिया और इसे पारित कराने का बीड़ा भी उठा लिया। इसीलिए जो दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, लाखों–लाख लोग हाथ में तिरंगा पकड़े भारत माता की जय बोलते, एक–दूसरे को जय–हिन्द कहते, वन्दे–मातरम् का उद्घोष लगाते हुए एक ही बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटाओ, जन लोकपाल

लाओ। यह एक जन आन्दोलन बना है और यह जन आन्दोलन भी अकारण नहीं बना। एक दिन पहले अपनी बात कहते हुए मुझे केवल दो ही मिनट मिले थे तो मैंने कहा था कि इसका कारण पिछले दो वर्षों में उजागर हुए भ्रष्टाचार के कांड हैं। बीते समय में भी भ्रष्टाचार के विषय आते रहे हैं। कभी देश भ्रष्टाचार मुक्त रहा हो, ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले दो वर्षों में भ्रष्टाचार के कांडों ने हदें पार कर दीं। एक के बाद एक भ्रष्टाचार उजागर हुए और राशि इतनी बड़ी–बड़ी कि सुनकर मन बौखला जाये। आरोप विपक्ष के नहीं, जिसके ऊपर कोई मोटिव लगाया जा सके, कहा जा सके कि ये ऐसा विरोध के कारण कर रहे हैं, सारे के सारे आरोप सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर हैं।

महोदया, सीएजी वह संवैधानिक संस्था है, जो सरकार का लेखा–जोखा देखती है। जिसका नाम ही है– कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार के लेखा–जोखा का महालेखा परीक्षक और नियंत्रक। अगर सीएजी कहता है कि 2जी में 1 लाख 76,000 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ, सीडब्ल्यूजी में 70,000 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ, एयर इंडिया में हजारों–हजार करोड़ रूपये का घोटाला हुआ, के.जी.बेसिन में हजारों–हजार करोड़ रूपये का घोटाला हुआ और कितनी ही रिपोर्टें पाइप–लाइन में हों तो लोग क्या करें? लोग बौखला गये, लोग उत्तेजित हो गये, लोग गुस्सा हो गये।

महोदया, लोगों को गुस्सा आता है कि एक तरफ तो हमें दो वक्त की रोटी दाल की भरी कटोरी के साथ नसीब नहीं होती, हमारी थाली से सब्जी गायब हो रही है, हमारी चाय से चीनी गायब हो रही है और दूसरी तरफ उच्च पदों पर बैठे हुए लोग लाखों–करोड़ों की लूट मचा रहे हैं। लोगों को गुस्सा आता है कि एक तरफ देश का करोड़ों रूपया विदेशी बैंकों में जमा है और दूसरी तरफ गांव में हम एक हैंडपम्प के लिए तरस रहे हैं। इसीलिए लोग क्रोधाग्नि में जल उठे, लेकिन उस क्रोध में घी डालने का काम उस बिल ने किया, जिसे सरकार लेकर आयी। लोग पूछते हैं कि जिस सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके नेता कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार हटाने के लिए कटिबद्ध हैं तो वह प्रतिबद्धता दिखाकर एक ऐसा हथियार तो लाओ, एक ऐसा बिल तो लाओ, जिससे यह लगे कि वह भ्रष्टाचार से लड़ सकेगा। प्रणव दा, जो बिल आया, वह कुंद था, उसमें धार नहीं थी और इसीलिए लोगों को यह लगने लगा कि क्या वाकई सरकार कटिबद्ध है?

क्या वाकई सरकार प्रतिबद्ध है, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए? प्रणब दा

अभी चले गए, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उन्होंने पूरा ज़िक्र किया, पूरा विवरण यहां दिया, लेकिन उस विवरण में थोड़े–थोड़े गैप्स हैं। आज 12वें दिन में अन्ना जी का अनशन प्रवेश कर गया है, 11 दिन पूरे हो चुके हैं। 74 वर्ष का व्यक्ति वहां बैठकर लड़ रहा है। लोग उसके साथ जुड़े हैं। उमड़–घुमड़ कर आंदोलन में आ रहे हैं। परिस्थितियां असामान्य हैं। उस असामान्य परिस्थितियों में से रास्ता निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। उस बैठक में से जो प्रस्ताव निकला, उसका ज़िक्र प्रणब दा ने अपने वक्तव्य में किया। मैं भी उसे पुनः पढना चाहती हूं। चार लाइनों का प्रस्ताव है–

"The meeting of all political parties in Parliament request Shri Anna Hazare to end his fast. The meeting was also of the view that due consideration should be given to the Jan Lok Pal Bill so that the final draft of the Lokpal Bill provides for a strong and effective Lokpal, which is supported by a broad national consensus."

इस प्रस्ताव से क्या पता चलता है कि उस मीटिंग के दो लक्ष्य थे। एक लक्ष्य, अन्ना जी का अनशन खुलवाना और दूसरा लक्ष्य, देश को एक प्रभावी और मज़बूत लोकपाल देना। इस प्रस्ताव के बाद हमें लगता था कि सरकार और अन्ना के प्रतिनिधियों के बीच में जो बात होगी, वह समाधानकारक होगी। हम आगे बढ़ेंगे, कल कुछ संसद में होगा, लेकिन हैरानी हुई, इसी बैठक के दो घंटे बाद जब अन्ना के प्रतिनिधि ने आकर मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार का सुर तो बदला हुआ था। कल सरकार जिस तरह से हम से बात कर रही थी, हमें सुन रही थी। आज वह हमें सुना रही थी और पीछे से किसी ने कहा कि हमें तो डांट रही थी। मुझे यह समझ में नहीं आया कि सर्वदलीय बैठक की भावना क्या थी और उसके बाद वे जो इम्प्रेशन लेकर गए, वह क्या था? उसमें इतना गैप क्यों था? जो बात सर्वदलीय बैठक से निकली थी, उससे तो रास्ता समाधान की तरफ बढना चाहिए था, लेकिन हुआ उलटा और जब यह बात उन्होंने जाकर रामलीला मैदान में कही तो स्थिति भड़क उठी, लोग भड़क गए। ख़ैर मुझे अच्छा लगा, रात 12 बजे के उाएरीब प्रणब जी का एक बयान आया "My words were twisted." साढ़े 12 बजे सलमान खुर्शीद जी का इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बात टूटी नहीं है। बात कल भी हुई थी, बात आज भी हुई है और बात आगे भी होगी। थोड़ा सा समाधान हुआ। अगले दिन मैंने स्वयं प्रश्नकाल स्थगन का

नोटिस देकर के प्रश्न पूछा, जिसमें प्रणब दा ने समाधान किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो भी वह इम्प्रेशन कैसे गया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उस बात को बाद में प्रधानमंत्री जी ने बनाया। वह सदन में भ्रष्टाचार पर बहस का उत्तर देने आए, उन्होंने स्वयं प्रसंग चलाया और प्रसंग चलाकर यह कहा कि अन्ना के प्रयासों की सराहना करते हुए "I applaud him; I salute him." उन्होंने कहा कि मैं उनसे अनशन तोड़ने की अपील करता हूं और उन्हें आश्वासन दिलाया कि हम एक प्रभावी और मजबूत लोकपाल बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी की भावना सदन की भावना बन जाए, इसलिए विपक्ष की ओर से मैंने खड़े होकर स्वयं को संबद्ध किया और आपने स्वयं खड़े होकर पीठ की गरिमा जोड़ दी। उसके बाद तो लगता था कि ज़रूर समाधान निकल आएगा। हां, उन सब बिलों की चर्चा होगी, उन्होंने कहा और हाउस में होगी, यह भी कहा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उसके आधार पर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगले दिन सरकार कोई मोशन लाने वाली थी, कोई रेज़ोल्यूशन लाने वाली थी या किस तरह से वह पहल करने वाली थी, क्योंकि उस रात अन्ना जी के प्रतिनिधि पहली बार हम से मिलने आए और उन्होंने हम से कहा कि सरकार एक मोशन लाएगी, जो रेज़ोल्यूशन की शक्ल में होगा, जिसमें अन्ना की तीनों मांगें होंगीं और हम आपसे समर्थन मांगने आए हैं। हमारी कुछ आशंकाएं थीं, हमारे कुछ प्रश्न थे।

हमने उनसे बात की। कहीं उन्होंने हमारी बात समझी, कहीं हमने उनकी बात समझी और हमारे बीच में उन प्रश्नों पर एक आम सहमति बनी। मैंने संसदीय कार्य मंत्री से संपर्क साधा कि क्या कोई रिजोल्यूशन या मोशन आप ला रहे हैं? उन्होंने कहा अभी तक तय नहीं हुआ। अगले दिन सुबह मैंने फिर संपर्क साधा कि क्या कोई रिजोल्यूशन आप ला रहे हैं? उन्होंने कहा अभी भी तय नहीं हुआ, मैं दस बजे बता पाऊंगा। मैंने दस बजे फिर संपर्क साधा तो उन्होंने कहा कि सोच रहे हैं कि नियम 193 के कुछ नोटिस ले लें और उस पर चर्चा करा दें। अध्यक्ष जी, मैं अवाक रह गयी। समय हो रहा था, मैं सीधे सदन में आई। मुझे श्री गुरूदास दासगुप्त जी और श्री बसुदेव आचार्य जी मिले। उन्होंने कहा कि क्या आपसे भी सरकार ने कहा है कि नियम 193 के नोटिस दे दे। मैंने कहा कि कहा तो है। उन्होंने कहा कि सरकार पलट कैसे गई? हम क्यों नोटिस दें? पहल सरकार ने करनी थी, मोशन सरकार का आना था, रिजोल्यूशन सरकार की तरफ से आना था। यह हमारे कंधों पर डालकर और सांसदों का एक नोटिस आ जाए, उस पर चर्चा हो जाए,

यह बात तो समझ में नहीं आई। श्री गुरूदास दासगुप्त जी ने मुझे बताया कि इफ्तार पार्टी में पहले दिन उन्होंने एक सुझाव दिया था कि सरकार की तरफ से मोशन नहीं तो एक स्टेटमेंट आ जाए, हम उस स्टेटमेंट पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन समझ नहीं आया कि सरकार अपने पैर पीछे क्यों हटा रही थी? इतने में करीब 11.30 बजे मेरे चीफ व्हिप ने आकर मुझे बताया कि मीडिया पर एक खबर चल रही है कि श्री राहुल गांधी अन्ना हज़ारे पर एक वक्तव्य देंगे। सुबह से खबर आ रही थी कि श्री राहुल गांधी, कांग्रेस के महासचिव इसमें कोई प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। जब उन्होंने आकर मुझे यह खबर दी तो मुझे लगा कि शायद वह बात सही है। इतने में मैंने पीछे की तरफ देखा कि क्या श्री राहुल गांधी सदन में बैठे भी हैं क्योंकि वे आते ही बहुत कम हैं। मैंने देखा कि वे बैठे थे। मुझे उस बात की पुष्टि होती नजर आयी। मुझे लगा मगर श्री राहुल गांधी किस पर बोलेंगे? मुझे लगा कि उन्हें शून्य प्रहर में बोलना होगा। यह किसी भी मेम्बर का अधिकार है। मैंने शून्य प्रहर की सूची, जो मेरे टेबुल पर आती है, देखी। उसमें उनका नाम नहीं था। मुझे लगा कि कोई बात नहीं। इसी सदन में बहुत बार जिन लोगों का नाम इस बीच नहीं आता बैलट में, वे स्पीकर से विशेषाधिकार के तहत अनुमति मांग लेते हैं और आप अनुमति देती हैं, काफी उदारता से देती हैं। उन्होंने मांगी होगी, आपने भी दे दी होगी। शायद उसके तहत बोले और वही हुआ। जैसे ही पेपर्स लेइंग खत्म हुई, आपने उनको अनुमति दी। वे बोलने लगे, हम सुनने लगे। इतनी देर में मैंने देखा कि दौड़ते–दौड़ते प्रधानमंत्री जी भी आए और सदन में बैठ गए सुनने के लिए। मुझे लगा कि शायद कोई बहुत बड़ी बात श्री राहुल गांधी कहने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं चलकर आए हैं। अब श्री राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव हैं, लेकिन इस सदन के तो दूसरी बार के जीते हुए सदस्य ही हैं। आपने उन्हें अनुमति दी। आप अनुमति देती हैं अध्यक्ष जी, बहुत बार देती हैं। लेकिन, शून्य प्रहर में कोई विषय उठाने की अनुमति देती हैं आप, प्रवचन करने की अनुमति नहीं देती हैं। तीन मिनट की अनुमति देती हैं आप। मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही।

अध्यक्ष जी, आप तीन मिनट की अनुमति देती हैं जिसे खींचकर हमें पांच मिनट तक ले जाना पड़ता है, जिसमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तीन मिनट से पांच मिनट होते ही हैं। लेकिन पांच पन्नों का एक लिखा हुआ वक्तव्य, जो उन्होंने यहां पढ़ा, पन्द्रह मिनट तक। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं। मैं चेयर के डिसीज़न को चैलेंज नहीं कर रही हूं। मैं यह कह रही

हूं कि हमारी बाध्यता है उस निर्णय को मानना और हमने माना। अध्यक्ष जी, चूंकि प्रणब दा ने एक विवरण दिया और मैंने प्रारंभ में कहा कि विवरण में कुछ गैप्स हैं। मैं उन गैप्स को भर रही हूं, इसलिए मैं कोई चीज़ अप्रासंगिक नहीं कह रही हूं। मैंने यह कहा कि हम ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने जो पहले दिन बोला, सरकार पैर पीछे क्यों हटा रही है, मैं उस पर आ रही हूं। श्री राहुल गांधी जी, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने यहां खड़े होकर कहा – I believe we need more democracy within our political parties. हंसी आती हैA I believe in Government funding of our political parties. I believe in empowering our youth in opening the doors of our closed political system in bringing fresh blood into politics and into this House. I believe in moving our democracy deeper and deeper into our villages and our cities. Let us commit ourselves to truth and probity in public life. We owe it to the people of India.

अध्यक्ष महोदया, वे राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे या जीरो ऑवर का इंटरवेंशन कर रहे थे, यह मैं आपसे पूछना चाहती हूं।

Madam Speaker, was the speech an address to the nation or a Zero Hour intervention? I am asking you.

अध्यक्ष जी, हमें बाद में समझ में आया कि वास्तव में वे कहना क्या चाहते थे। उन्होंने कहा – It is not the matter of how the present impasse will resolve; it is a much greater battle. There are no simple solutions. तब पता चला कि वे वास्तव में कांग्रेस पार्टी की लाइन यहां बताने के लिए आए थे। मुझे उस समय समझ में आया कि सरकार दुविधा में क्यों थीं। सरकार पैर पीछे क्यों खींच रही थीं। अब आपको पता चला कि मैं यह बात क्यों कह रही थी, मैं वह गैप फील कर रही हूं। उस समय समझ में आया कि सरकार रास्ते क्यों तलाश रही थी, सरकार ऐसा रास्ता क्यों तलाश रही थी, जहां उसे कुछ कमिट न करना पड़े, बल्कि किसी एक मेम्बर के माध्यम से या 193 का नोटिस दिलवा करके, वह चर्चा करवा कर एक रस्म अदायगी पूरी कर दें, यह बात मैं आपसे कहना चाह रही थी। और मैं कहना चाह रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन में खड़े होकर एक दिन पहले जो स्टेट्समैनशिप दिखाई थी, उस पर कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने पानी फेरने का काम किया। इसीलिए हमें समझ में आ गया कि कोई मोशन, कोई रैजोल्यूशन कांग्रेस की तरफ से नहीं आयेगा, सरकार की तरफ से नहीं

आयेगा। तब सारे विपक्ष ने आपत्ति जताई, गुरुदास दासगुप्त जी, शरद यादव जी, बसुदेव आचार्य जी, दारा सिंह चौहान जी, सारे लोग हमारे साथ थे, हम सारे लोग मिले और हमने कहा कि नियम 193 पर चर्चा नहीं होगी। सरकार को या तो एक स्टेटमेंट देना होगा या हम एक नियम 184 का नोटिस देंगे, जिस पर चर्चा होगी। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने दोबारा बागडोर अपने हाथ में ली है, मुझे खुशी है। आज मैं आपका अभिनन्दन करती हूं कि प्रणव मुखर्जी जी ने आज जो बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने वे तीनों मुद्दे सदन के सामने रख दिये।

सरकार कमिट नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन अगर उस पर कोई सेंस ऑफ दि हाउस आएगी तो वोटिंग के समय पता चलेगा कि सरकारी पक्ष क्या चाहता है, लेकिन जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, वे तीनों मुद्दे, जो अन्ना हजारे जी की मांगें हैं, आज उन्होंने अपने वक्तव्य के अन्दर सदन के सामने रख दिये और सदन को कहा कि संविधान और संसदीय मर्यादा के तहत इसमें से रास्ता निकालिये, इसमें जवाब दो ।

अब मैं उन मुद्दों पर आती हूं। अध्यक्षा जी, हम बहुत दिनों से यह बात कह रहे हैं कि एक प्रभावी लोकपाल बिल होना चाहिए, सशक्त और स्वतंत्र लोकपाल बिल होना चाहिए, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा, कौन से बिल को हम प्रभावी कहेंगे, कौन से बिल को हम सशक्त कहेंगे, देश पूछेगा, देश जानना चाहता है और इसीलिए उसके प्रभावीपन को तय करने के जो मुद्दे हैं, उनमें पहला मुद्दा है कि क्या उसके अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। आपको याद होगा कि जिस समय यह बिल इण्ट्रोड्यूस किया जा रहा था, मैंने इस पर उस समय भी आपत्ति की थी, यह कहकर कि इस बिल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री को नहीं रखा गया है, यह संविधान का उल्लंघन है, यह हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उल्लंघन है। मैंने आपसे कहा था कि हमारा संविधान नागरिकों में फर्क नहीं करता, छोटे–बड़े का भेद नहीं करता। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रधानमंत्री और एक आम झुग्गी वाले आदमी के बीच में किसी तरह का कोई भेद नहीं करता। हमारा आई.पी.सी., हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सब को बराबर मानता है तो आज के समय में, जब भ्रष्टाचार से लड़ाई का एक हथियार हम ला रहे हैं, अगर उसकी व्यवस्था में से हम प्रधानमंत्री को अलग कर देंगे तो देश को क्या संदेश जायेगा? अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्रधानमंत्री हैं, आई.पी.सी. में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री नहीं हैं और

खास तौर पर ऐसे समय में, जब कि ऐसे मुकदमे चल रहे हों, जहां एक मंत्री कहता हो कि मेरा किया धरा सारा प्रधानमंत्री को पता था, दूसरा मंत्री कहता हो कि मैंने सब कुछ उन्हें बताकर किया था। कोर्ट में वकील यह कह रहे हों कि हम प्रधानमंत्री को गवाह के तौर पर बुलाएंगे। ऐसे समय में अगर आप लोकपाल के दायरे में से प्रधानमंत्री को अलग रखेंगे तो क्या देश ऐसे लोकपाल को प्रभावी मानेगा?

यह चर्चा हमारे समय में भी आई थी। 1998 में और 2001 में जब हमने बिल पेश किया, तब यह बहस आई थी कि प्रधानमंत्री को इसके दायरे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही दोष स्वीकार कर लिया कि हम उसे पारित नहीं कर पाये, लेकिन मैं बिल के कंटेंट की बात कर रही हूं। तब अटल जी ने स्वयं आगे बढक़र उस चर्चा को रोक दिया। अटल जी ने कहा कि इस बहस को रोक दो, मैं कह रहा हूं कि मैं इसके दायरे में आऊंगा और आप प्रधानमंत्री को उसके दायरे में लेकर आओ। जितने भी विरोधी थे मैं आ रही हूं। मैं उसी पर आ रही हूं।

मैं इसी पर आ रही हूं। मेरा अगला वाक्य यही है कि अटल जी ने यह बात कही और हमने तुरन्त मान ली। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री यह बात कह रहे हैं, यह मैं कह रही हूं कि आज के वर्तमान प्रधानमंत्री भी यह बात कह रहे हैं कि मैं उसके दायरे में आना चाहता हूं, लेकिन कोई इनकी बात नहीं मान रहा है, इसीलिए मैं यह कह रही हूं। अध्यक्ष जी, मैं यह कह रही हूं कि वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते ही कम हैं और जब बोलते हैं तो उनकी कोई सुनता नहीं है। मैं कह रही हूं कि उनकी बात सुनो। प्रधानमंत्री तो आना चाह रहे हैं, मैं आपको कह रही हूं कि उनकी बात सुनो। वह सही कह रहे हैं, उनकी बात मानो। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वयं आगे बढक़र इन कयासों पर अंतिम वाक्य कह दें, रोक लगा दें और हम तय करें कि प्रधानमंत्री पद लोकपाल के दायरे में आना चाहिए, मगर दो अपवादों के साथ – नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक आर्डर। ये दो ऐसे विषय हैं जिन पर बहुत सी चीजें प्रधानमंत्री को करनी होती हैं, जो सार्वजनिक हित में पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकतीं। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते बोल रही हूं, सस्ती लोकप्रियता लूटने के लिए नही बोल रही हूं। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते बोल रही हूं कि प्रधानमंत्री इसमें आने चाहिए, मगर दो अपवादों के साथ।

अध्यक्ष जी, दूसरा विषय है – न्यायपालिका का, जुडीशियरी लोकपाल

के दायरे में आए या न आए। मेरा नाता जुडीशियरी से बहुत पुराना रहा है। मात्र 21 वर्ष की उम्र में वर्ष 1973 में मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने आयी थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल 13 जजेज होते थे। मेरा सौभाग्य है कि मैंने जस्टिस भगवती, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस कृष्णा अय्यर जैसे जजेज को देखा। उनकी कोर्ट में एपीअर होने का मुझे मौका मिले। जस्टिस भगवती की फेयरवेल स्पीच में उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने उन्हें गरीबों का मसीहा कहकर संबोधित किया था, क्योंकि मैंने वह दृश्य देखा था, जब एक पोस्टकार्ड पर एक गरीब की लिखी हुयी पीड़ा को उन्होंने याचिका मानकर स्वीकार किया था और उस पर नोटिस लिया था। जस्टिस कृष्णा अय्यर की जजमेंट पीस आफ लिटरेचर हुआ करती थी, साहित्यिक कृतियां। जस्टिस चंद्रचूड़ के कक्ष में ताजा बयार मिलती थी। वो विभूतियां हम लोगों ने देखी हैं। जस्टिस कृष्णा अय्यर की पत्नी के निधन के बाद उन्होंने मुझे लेक्चर देने के लिए शारदा मेमोरियल, केरल बुलाया था। तब मैंने देखा था कि कितना मान–सम्मान उनका अपने गृह प्रदेश में था। यहां कपिल सिब्बल जी बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप उस दृश्य के साक्षी हैं या नहीं। जिस समय जस्टिस वेंकट चलैय्या का फेयरवेल हो रहा था, चार सौ वकील लाइन लगाकर उनके चरण छूने के लिए खड़े थे, मैंने वह जुडीशियरी देखी है। लेकिन आज गिरावट यह आ गयी कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट ने बंद लिफाफे में, खड़े होकर चीफ जस्टिस को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा कि इसमें आठ मुख्य न्यायाधीशों के नाम हैं, ये सभी भ्रष्ट आचरण के दोषी हैं। जब बाहर चर्चा में वे नाम निकले तो बजाय किसी के यह कहने कि इसमें कोई नाम गलत जुड़ गया, लोगों ने कहा कि इसमें से एकाध नाम छूट गया। यह दुर्भाग्य है। न्यायपालिका शब्द तो संविधान का नाम है। वास्तव में ये न्याय के मंदिर हैं, जहां एक व्यक्ति आस लगाकर, उम्मीद लगाकर जाता है। हमारे यहां पंच को परमेश्वर माना जाता है। न्यायालय में बैठा हु आ न्यायाधीश तो भगवान की मूर्ति होता है, लेकिन अगर वह भ्रष्ट आचरण के दोषी हो जाएं, तो क्या करें? उन्हें लोकपाल के दायरे में लाना समस्या का समाधान नहीं है। जुडीशियल एकाउंटिबिलिटी बिल जो सरकार ला रही है, वह अकेला भी समाधान नहीं है। हमने अपनी ओर से उसमें एक सुझाव दिया है – नेशनल जुडीशियल कमीशन का।

मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस लोकपाल बिल के ऊपर एक राउंड टेबल वार्ता हुयी थी, जिसमें जस्टिस वेंकटचलैय्या थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर

थे, जस्टिस जे. एस. वर्मा थे। उन्होंने इस नेशनल जूडिशल कमीशन को मानते हुए, मान्यता देते हुए यह कहा था। पहले उन्होंने आज की जुडिशीएरी की जो दुर्दशा है उस पर जो कहा मैं वह पढऩा चाहती हूं –

"Recent Distortions in Judiciary: Certain distortions and glaring inadequacies are endangering the credibility of higher judiciary. In recent years, several credible allegations have been leveled against individual Judges. While the judiciary on the whole is conducting itself with admirable dignity and propriety, the actions of a few black sheep are damaging the entire institution. Now is the time to press for genuine judicial reform. An honest judiciary enjoying full public confidence is clearly the need of the hour."

उसके बाद उन्होंने जूडिशल कमीशन की बात की। नेशनल जूडिशल कमीशन के दो छोटे–छोटे पैराग्राफ मै पढती हूं।

"Creation of a National Judicial Commission for transparent appointments in the Supreme Court and High Courts: this mechanism would combine the impact from the elected branches of the Government and the judiciary and chaired by the Vice President."

यह पहली रेकमेन्डैशन है और दूसरी है–

"Replacing the present cumbersome and unsatisfactory constitutional mechanism of impeachment under Article 124 (4) with a more effective mechanism for removal of errant Judges functioning under the NJC framework."

इन दोनों चीजों को कहते हुए उन्होंने कन्क्लूशन दिया–

"The above proposals mesh harmoniously and synergistically with the provisions contained in the Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 now in the Parliament. Together they create a permanent, independent and empowered body to ensure judicial accountability in the form of National Oversight Committee and Scrutiny Panels."

प्रधानमंत्री जी, यह हमारा सुझाव है कि जहां तक न्यायपालिका का सवाल है उसे लोकपाल के नीचे करने की बजाय एक नेशनल जूडिशल कमीशन बनाइए जो जजों की नियुक्तियों पर भी और उनके पद मुक्त होने के तरीके तय करे, प्रावधान तय करे और हिन्दुस्तान के अंदर ऐसी न्यायपालिका आए जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह न लग सके। यह बचाने का नहीं, ज्यादा

प्रभावी तरीका है।

अध्यक्ष जी, तीसरा विषय सीबीआई का है। जनलोकपाल बिल कहता है सीबीआई के एंटीकरप्शन विंग को लोकपाल के नीचे कर दिया जाए। बहुत दिनों से हम और शरद जी सीबीआई को स्वायत्त बनाने की बात कर रहे हैं कि ऑटानमस इंस्टिटूशन होनी चाहिए। हमने बहुत बार आप के पास नोटिस दिया कि हम सीबीआई के दुरूपयोग पर चर्चा करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से वह चर्चा टलती रही। लेकिन सीबीआई का दुरूपयोग देखने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहां उसके बहुत भुक्तभोगी बैठे हैं जो सीबीआई के हाथ देख चुके हैं। मेरे बराबर में यहां के सबसे वरिष्ठ सांसद आडवाणी जी बैठे हैं। इन पर हवाला का केस बना दिया। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने शुचिता की पराकाष्ठा कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं संसद के परिसर में तब तक प्रवेश नहीं करूंगा जब तक मैं इससे बाहर नहीं हो जाता। मेरे पीछे यशवंत सिन्हा जी बैठे हैं। इन पर सीबीआई ने हवाला का केस बना दिया। शरद यादव भी यहां बैठे हैं। जिन्दगी लगा दी, सीबीआई ने हवाला का केस बना दिया लेकिन क्या निकला–जीरो। मदनलाल खुराना दुबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सके, इन पर सीबीआई ने हवाला का झूठा केस बना दिया। सारे विपक्ष के नेताओं को देख लीजिए और उधर देख लिजिए। सारे विपक्ष के नेता कहीं न कहीं सीबीआई के शिकंजे में फंसाए जा चुके हैं। लालू यादव जी, मुलायम भाई, जय ललिता।

दक्षिण पार्टियों में देखिए मैडम जयललिता। एक जगह से प्रारंभ हो जाइए। पंजाब जाओ तो बादल परिवार। हरियाणा जाओ तो चौटाला परिवार, यूपी जाओ तो दोनों भाई मुलायम जी एवं बहन मायावती भी। सारा भ्रष्टाचार विपक्ष में हो रहा है। सारे के सारे दूध के धुले हुए उधर बैठे हैं।

अध्यक्षा जी, एक ताजा उदाहरण श्री जगन मोहन रेड्डी का इतना भयावह है। वे कल तक कांग्रेस के सांसद थे। उनके पिता श्री वाई.एस.आर. रेड्डी आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के मुख्य मंत्री थे। कांग्रेस नेतृत्व के बहुत चहेते मुख्य मंत्री थे। नज़दीक थे, सबसे प्यारे थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस छोड़ी, ले सीबीआई की रेड और ले सीबीआई का केस। मैं पूछना चाहती हूं।

अध्यक्षा जी, जीते–जी संबंध इतने अच्छे और मरने के बाद अभियुक्त बना दिया। मरने के बाद ऐक्यूड के कॉलम में डाल दिया। मैं केवल एक बात पूछना चाहती हूं कि यह कांग्रेस कौन सी पवित्र गंगा है जिस में जब तक डुबकी लगाते रहो तब तक साफ–सुथरे, दूध के धुले और बाहर निकले नहीं

कि भ्रष्टाचार के पुतले।

लोग कहते हैं कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इनवैस्टीगेशन है। मैं कहती हूं नहीं। जैसे ही हाउस में कोई वोट की विधा आ जाए, शरद भाई मुझे कहते रहते हैं, सुषमा जी, वोट की विधा में चर्चा मत करवाया कीजिए। मैंने कहा, क्यों। बोले, हमारे कई भाई–बहनों पर तलवार लटक जाती है। मैंने कहा, हां। सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टीगेशन नहीं, सीबीआई कांग्रेस बचाओ इंस्टीट्यूशन बन जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब सामने आया है। अभी कैश फॉर वोट का कैस बना। श्री अमर सिंह चार्ज शीटेड, श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी चार्ज शीटेड, हमारे दो एक्स–एमपी चार्ज शीटेड। लेकिन जो डायरैक्ट बैनीफिशियरी थे, जिनकी सरकार बची थी, वे सारे बरी। यह है सीबीआई। अगर श्री अमर सिंह कर रहे थे तो किसके लिए कर रहे थे? जिन्होंने व्हिसल ब्लोअर का काम किया, हम लोकपाल में व्हिसल ब्लोअर की बात कर रहे हैं, वे दोषी, वे अपराधी और जिनकी सरकार बची, जो लाभार्थी हुए, जो बैनीफिशियरी बने, वे बरी। यह है सीबीआई का कन्डक्ट। इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस बचाओ इंस्टीट्यूशन की बजाए एक स्वायत्त संस्था बने और अगर जन लोकपाल चाहता है कि एंटी करप्शन विंग लोकपाल के नीचे कर दिया जाए तो हम उससे सहमत हैं।

अध्यक्षा जी, अधिकार क्षेत्र में फिर एमपीज़ की बात आती है। अभी नेता, सदन ने बात करते हुए कहा कि हम जो बात करें, कौन्सटीट्यूशन के अंदर करें। हम जब यहां आते हैं तो संविधान की शपथ लेकर आते हैं। हम कोई भी सुझाव संविधान के बाहर नहीं करेंगे। संविधान की धारा 105 सांसदों को हाउस के अंदर के व्यवहार और आचरण के लिए इम्युनिटी देती है। वह इम्युनिटी बनी रहनी चाहिए। यह हाउस सुप्रीम है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इस हाउस में अपनी सुप्रीमेसी दिखाते हुए अपनी स्ट्रैन्गथ भी दिखाइए। इस हाउस ने प्रश्न पूछने के बदले मात्र पांच हजार रुपये की राशि के आरोप में, मैं आरोप कह रही हूं क्योंकि इन्वैस्टीगेटिव एजैंसी से कोई बड़ी जांच नहीं हुई।

हाउस कमेटी ने केवल जांच की थी। लेकिन मात्र 5000 रुपये की राशि लेने के आरोप में इन दोनों सदनों ने मिलकर ग्यारह सांसदों को राजनैतिक सदस्यता से, इस सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। उनके राजनैतिक कैरियर खत्म कर दिये। यह ताकत इस हाउस के अंदर, इस सदन के अंदर है। लेकिन जहां तक बाहर के आचरण का सवाल है, तो हम

बाहर आर्डिनेरी सिटीजन है, साधारण नागरिक हैं। हम पर बाहर प्रिवैंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू है। श्री नरसिम्हा राव की जजमैंट के बाद हमारा बाहर का आचरण पब्लिक सर्वेंट बन गया, इसलिए बाहर का आचरण लोकपाल के घेरे में आये, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अंदर के आचरण के लिए हाउस उसमें सुप्रीम होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, इसके बाद मैं इसकी कम्पोजिशन पर आती हूं, क्योंकि प्रभावी लोकपाल के लिए यह सबसे बड़ी जरूरत है कि वह चुना कैसे जाये? सलैक्शन कमेटी की कोई भी कम्पोजिशन अगर ऐसी होगी, जिसमें सरकारी पक्ष का बाहुल्य होगा, तो उसमें से सरकारी लोकपाल निकलेगा, क्योंकि इसका मेरे से ज्यादा प्रत्यक्ष अनुभव किसी को नहीं है कि जिस कमेटी में सरकारी लोग बाहुल्यता में होते हैं, वहां क्या होता है। मैं एक–एक करके बताऊंगी। मैं कुछ विषय आपके लिए भी छोड़ रही हूं। अभी मैं अधिकार क्षेत्र में आती हूं।

अध्यक्षा जी, सीवीसी की कमेटी में सरकारी पक्ष का बाहुल्य केवल एक का होता है। उसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और नेता प्रतिपक्ष होती हैं, यानी टू और वन। लेकिन वहां विमत को किस तरह से दरकिनार करके अपना निर्णय थोपा जाता है, इसकी मैं प्रत्यक्ष अनुभवी हूं। मैं अपनी बात कहती रह गयी, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गयी। यह तो ईश्वर ने मुझे साहस दिया कि मैं अकेली इन दोनों से भिड़ गयी और वहां अपनी असहमति लिखित में दर्ज कराकर उठी। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में वह मामला ताकिक परिणति तक पहुंचा। लेकिन उसने मुझे यह अनुभव दे दिया कि जिस कमेटी में सरकारी पक्ष बाहुल्यता में होता है , वहां कैसा चयन होता है । इसलिए मेरा यह कहना है कि कमेटी जो भी बने, उसमें सरकारी पक्ष के लोग कम और गैर सरकारी ज्यादा होने चाहिए, तभी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लो कपाल हम निकाल पायेंगे। लेकिन इसकी एक दूसरी अति हमने कल गुजरात के लोकायुक्त की नियुक्ति में देखी। उस सरकार को पूरी तरह बाईपास कर दिया। लोग कहते हैं कि गुजरात में लोकायुक्त क्यों नहीं बना?

अध्यक्षा जी, गुजरात मे लोकायुक्त क्यों नहीं बना, यह पूछते हैं? गुजरात के मुख्यमंत्री ने चीफ जस्टिस द्वारा दिये गये नाम को नेता प्रतिपक्ष के साथ सहमत होकर गवर्नर को भेजा। छः साल तक फाइल तात्कालिक गवर्नर ने नहीं निकाली। उसके बाद उसी व्यक्ति को बाद में महाराष्ट्र के एनएचआरसी में लगा दिया गया, लेकिन गुजरात का लोकायुक्त नहीं बनाया।

उसके बाद मीटिंग बुलायी, तो नेता प्रतिपक्ष उसमें आये नहीं। उन्होंने उसका बायकाट कर दिया। अब कल क्या घटा? कल पूरी सरकार को बाईपास करते हुए गवर्नर ने स्वयं नियुक्ति कर दी। यह दूसरी एक्सट्रीम है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि कम्पोजिशन के समय यह संतुलन बनना बहुत जरूरी है कि न तो सरकार का बाहुल्य हो और न सरकार की पूरी तरह अनदेखी हो, तब हम एक संतुलित चयन समिति निकाल पायेंगे और एक संतुलित चयन प्रक्रिया इसमें रख पायेंगे।

अध्यक्षा जी, इसके बाद वे तीन प्रश्न आते हैं, जो नेता सदन ने हमारे विचार के लिए अपने वक्तव्य में उठाये हैं। एक विषय है कि क्या एक ही एक्ट से लोकपाल और लोकायुक्त बन सकता है ? यहां पर बहुत संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं। वे कहेंगे कि जो स्टेट सर्विसेज हैं, वे स्टेट का विषय है, स्टेट की एंट्री है। लेजिस्लेटिव कॉम्पीटैंस का विषय उठेगा। हम कैसे एक ही एक्ट से दोनों बना दें, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूं की वर्ष 1968 और 1971 के जो लोकपाल बिल आए थे, उनका शीर्षक था– लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। दूसरे, जो संविधान यह प्रावधान देता है कि यह स्टेट एंट्री है और दूसरा सेंट्रल एंट्री है, वही संविधान अनुच्छेद 252 में हमें यह अधिकार भी देता है कि दो राज्यों के समर्थन यह लोक सभा एक इनेबलिंग प्रॉविजन के साथ ऐसा कानून बना सकती है जिसे बाद में राज्य स्वीकार कर सकें। मैं कहना चाहती हूं कि अनुच्छेद 252 को हम देख लें। उसमें यह लिखा है:

"Power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by any other State"

इसके तहत हम एक ही बिल से लोकपाल और लोकायुक्त बना सकते हैं, दो राज्यों के समर्थन से बना दें और बाकी राज्यों के लिए एक इनेबलिंग प्रॉविजन बना दें जिससे राज्य सरकारें उसको एडॉप्ट कर सकें ताकि कोई राज्य सरकार यह न कह सके कि हमारे पास कोई मॉडल बिल नहीं है।

दूसरा विषय है ग्रीवांस रीड्रेसल मैकेनिज्म। मुझे आज यहां यह बात कहते हुए खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी की दो राज्य सरकारों ने और एनडीए की एक राज्य सरकार ने इस ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को पहले ही स्थापित कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बिल बनाया है– लोकसेवा प्रदाय गारन्टी विधेयक। बिहार ने एक ऐसा ही बिल बनाया और कल ही मुझे जानकारी मिली है हिमाचल प्रदेश ने भी लोकसेवा प्रदाय गारन्टी

विधेयक बना दिया है। पंजाब में भी बना दिया है। जहां तक ग्रीवांस रीड्रेसल मैकेनिज्म का सवाल है, बहुत ही प्रभावी लोकसेवा प्रदाय विधेयक बने हैं जिनमें यह तय किया गया है, यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पटवारी 15 दिन के अंदर गिर्दाबरी नहीं देता, अगर कोई तहसीलदार एक महीने के अंदर नामांतरण नहीं करता, तो उसको जो जुर्माना लगेगा, वह उसी तनख्वाह से काटा जाएगा और वह जुर्माने की राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी, जिसका काम 15 दिन या एक महीने में नहीं किया गया है। सिटीजन्स चार्टर को सामने रखकर ये विधेयक बनाए गए हैं। जन–लोकपाल बिल जिस डीम्ड करप्शन की बात करता है, उससे हम सहमत नहीं हैं क्योंकि डीम्ड करप्शन में सीधे 15 दिन में काम न करने पर सजा का प्रावधान है। हम कहते हैं कि इनएफिशिएंसी और डीम्ड करप्शन को एक चीज नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अन्ना हजारे जी के प्रतिनिधि भी इस बात को मानने को तैयार हैं कि जो हमारे लोकसेवा प्रदाय गारन्टी विधेयक हैं, वे सिटीजन्स चार्टर का एक बहुत अच्छा स्वरूप लेकर आए हैं, सारी राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार उस तरह के सिटीजन्स चार्टर के साथ पब्लिक सर्विस गारन्टी एक्ट्स बना सकती हैं, ताकि आम आदमी को यह पता चले कि उसका काम इतने दिन में होगा ही होगा और नहीं होगा तो उस अधिकारी पर जुर्माना लगेगा और जुर्माने की राशि उसे मिलेगी, जिसका नुकसान होगा।

इसके बाद तीसरा बिषय लोअर ब्यूरोक्रेसी का है। जहां तक लोअर ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, मैं कहना चाहती हूं कि कुछ चीजें मनोवैज्ञानिक असर भी डालती हैं। इसके विरोध में केवल एक तर्क है कि अनविल्डी बॉडी हो जाएगी, लेकिन अगर हम बैलेंस करें कि उसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होगा। आज आम आदमी किसी बड़े आदमी के भ्रष्टाचार से क्रोधित है, लेकिन उतना परे शान नहीं है क्यों कि उसका उससे वास्ता ही नहीं पड़ता। वह जब उसके बारे में अखबार में पढता है, तो उसे गुस्सा आता है, उसे लगता है कि यह मेरी गाढ़ी कमाई के पैसे से भरे गए टैक्स को क्यों लूट रहा है। वह क्रोधित होता है, लेकिन परे शान नहीं हो ता है । वह तंग होता है छोटे अफसर से । राशन कार्ड बनवाने जाता है, वह नहीं बनता, लाइसेंस बनवाने जाता है, लेकिन लाइसेंस नहीं बनता है। कहीं न कहीं जन–लोकपाल बिल ने यह आकांक्षा जता दी है कि हम जो यह जो हथियार ला रहे हैं, वह हमें उससे बचाएगा, छोटे भ्रष्टाचार से बचाएगा। जो उमड़–घुमड़कर लोग

आ रहे हैं, ये उन बड़े भ्रष्टाचारों के खिलाफ नहीं आ रहे हैं, ये यह उम्मीद लेकर आ रहे हैं, आशा लेकर आ रहे हैं, मन में आस लेकर आ रहे हैं कि यह जन–लोकपाल बिल मेरे मर्ज का इलाज होगा।

क्योंकि उसके अंदर छोटी डैमोक्रेसी आएगी इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, एपेलेट अथोरिटी बनाई जा सकती है। लोकपाल के नीचे और 11 लोकपाल बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने छोटे अधिकारी को लोकपाल के दायरे में नहीं रखा तो वह आदमी अपने को कहीं ठगा हुआ महसूस करेगा, वह आदमी यह महसूस करेगा कि मेरे भ्रष्टाचार का इलाज नहीं हुआ, इन लोगों ने केवल बड़े भ्रष्टाचार का इलाज किया। इसलिए यह जो लोअर डैमोक्रेसी की बात है, उस पर भी हमारी पार्टी सहमत है। ये तीन विषय जो विचारार्थ नेता सदन ने अपने वक्तव्य में रखे हैं, इन तीन विषयों पर मैं अपनी पार्टी की सहमति इस सदन में दर्ज कराती हूं। अध्यक्ष जी, मैं फिर अपनी उसी बात पर आती हूं कि आज का दिन एक इतिहास का दिन है। हमारी पीढ़ी ने बहुत भ्रष्टाचार भोगा है, हमारी पीढ़ी उसका शिकार बनी है। लेकिन हमारी भावी संततियां इस त्रास को न भोगें। हमारी भावी पीढियां इस भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार के गर्त का शिकार न बनें, इसके लिए आज इतिहास ने हमें मौका दिया है। इस मौके को हम चूके नहीं, इसे तरह–तरह की तकनीकियों में हम न डालें। पूरा देश आज उद्वेलित है, पूरा देश आज हमारी तरफ देख रहा है। इस बिल का वह हश्र न हो जो पुराने आठ बिलों का हुआ है, 43 बरस तक यह बिल घूमता रहा है। लेकिन इस बार, आज हम बिल पास करने के लिए खड़े नहीं हुए हैं, परंतु आज हम सरकार को एक सुझाव और संकेत देने के लिए खड़े हुए हैं। इस सदन से देश को एक संदेश देने के लिए खड़े हुए हैं। आज इस सदन से सरकार को यह संदेश जाए कि प्रभावी, सशक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल इस देश में आए, जो आम आदमी को उसके भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाए।

■■

LOK SABHA

When youth stand up, it'll make a difference : Varun Gandhi

Participating in the discussion Shri Varun Gandhi said that a large number of young people in the country where agitated over the way the government was trying to shield the corrupt and refusing to create strong mechanism against corruption. We are publishing the full text of his speech delivered in Lok Sabha on 27 August 2011 hereunder :

As the Sun sets on this fateful day, I stand here to speak with a very heavy heart. As I stand here to speak, it sits very heavy on my conscience that while we sit here and debate these larger issues, there is a 74 year old man who sits quietly battling between life and death. The issues are not whether this Lokpal Bill, this Jan Lokpal Bill or the other Lokpal Bills are perfect pieces of legislation because obviously no one piece of legislation can be entirely perfect. There is something.

I entered this House in my 29th year. I have never seen or encountered any of the great movements of this century. I was not a part of the freedom movement obviously. I have not witnessed Swami Vivekanandaji or Jayprakash Narayanji or Panditji or Vinoba Bhaveji. But when I saw the initiative that Shri Anna Hazareji has taken, it sparked something within me. There are hundreds of millions of young people in this country that may not be agitating on the streets today, but in their own quiet and dignified way this movement has changed all of us for the better. All of us in some way, shape or form were passive observers. Many

people even consider themselves fence-sitters.

It was very fashionable to say that there is something wrong with the system, there is something wrong, there is something broken. But this movement has convinced almost the entire youth of this country that they are active agents of change, that they can rise up and be counted, that their voices will not get beaten down, that when they stand it will make a difference. This entire day today is a testimony to that fact.

Madam, listening to the debate over the last two, three weeks, it occurs to me that a manufactured divide is being brought about between this great institution of Parliament and the people that we represent. Madam, this sets about a very dangerous precedent for the future of all of us. When you study history, as Shri Sharma said before me, you will realise that under colonial times it was the State that was sovereign. But as our nation achieved freedom, it was the people that became sovereign. It is very clear to me that we must stand here and speak as servants of the people, as mirrors of the people that we represent.

The BJP and many other parties in the Parliament today I think have shown a tremendous respect for the people of this nation by taking the stand that is today in the hearts and minds of Indians, a stand that is displayed on the streets outside Parliament as we leave today. Madam, a churning has taken place. We could say it was a silent revolution, except it is not so silent any more, and it has compelled us, it has in a way forced our hand to react. Today the nation looks to us for a solution, not semantics; for answers.

What have we seen in the last two weeks of debate, specifically from the treasury benches but in some shape or form from perhaps all of us? We have been talking about protecting the privileges of Parliament. That is fine. But what about protecting the privileges of people? Madam, the people's rights in our democracy cannot be extinguished after casting of vote once every five years. It is the people that must govern, rule, maybe not through referendums, the kind that we see in Europe or Africa or in several parts of the world where if the public has something very important to say, a referendum is conducted. There are no points of recall in our democracy. But at the end of the day, Madam, it is our duty to reflect public opinion, not to judge it and reject it. Remember, it is to the people that we go to reaffirm our strength in 2014.

Madam, the debate is one on corruption. Many hon. Members, especially the Leader of the Opposition, have given masterful speeches, debating the technicalities of this proposal. So, I choose not to do that because it will merely be repetitive and there are other hon. Members who want to speak.

I just want to say, when we talk about corruption, we have to be very careful not to look at it in abstraction. I come from Uttar Pradesh. Large parts of Bihar and Uttar Pradesh today have been ravaged by flood. All those people whose lives have, for ever, been darkened will receive cheques of Rs. 1,000 at best.

Why? It is because there is no money; there is a Consolidated Fund of India; there is a certain amount of money that the Government has at its disposal. When we look at a scam like the 2G or when we look at a scam like the CWG, or when we look at various scams since 1947 till today, what do we see? We see a figure, we see a number and we see statistics. What do we not see? Imagine, if there is a scam involving Rs.1,000 crore, there are a thousand villages that will go without electrification, there are a thousand schools or inter-colleges that will not get built. In Uttar Pradesh, for instance, we do not have proper teachers today. We have what we call 'Siksha mitras'. Who are they? They are 16-17 year old children who have passed the 8th standard and who are teaching other children.

You can speak, once I have spoken.

I am speaking from a point of my experience. You may speak from the point of your experience. You cannot drown down my voice. I have earned the right to speak and you will listen to me! In our country, do you agree or not, that the system of education in most parts of rural India is lacking? Is that the moot point? Or

are we here just to make cheap shots at one another?

I do not yield to you.

The fact remains that in our country today the education system, the health system, the systems of infrastructure are lacking. The reason why they are lacking is, there is no money.

Yesterday, during Question Hour, we had some hon. Members who said that the RGGVY which may have been created with the best of intentions, today lies incomplete or at rest. Why is that? It is because there is no money, not because there are no means to implementation; it is because there is no medium for implementation.

We are talking about corruption here. What systems we had in our country to take up corruption? We have had systems of self-policing, whether it is in judiciary since 1993 or whether it is in the departmental vigilance or in the CVC or the CBI; the entire scheme and the system is one of self-policing. It is clear from the voices out on the street that the system is broken; it has failed us. So, what are we going to do about this?

What is Shri Anna Hazare asking for? Is that such a calamitous demand? In essence, he is asking for an independent Ombudsman. Why should we assume, as a polity, as the leaders of elected India, that the first thing this independent Ombudsman will do is try and gobble us up? Is that not presupposing guilt?

I do not think that is what is going to happen. It may be a naive thought. Why are young people on the streets today? The numbers can be debated but why are the young people on the streets today? It is because corruption affects us as team as a nation. If a young person has to stand in line for a job and to pay a bribe of Rs.50,000 or Rs.1,00,000 to get a Government job, it affects your self-esteem as an Indian. That is why young people are on the street today. If you are a rickshaw puller, a street vendor or a farmer who goes to the mandi to sell the produce and if you have to pay 20 or 30 per cent bribe, not only does it depress incomes of Indians but it also makes them go hungry.

Madam, there has been a lot of propaganda about the BJP

being the force behind Anna Hazare's movement. The fact remains that the movement has been an entirely spontaneous one that has erupted from almost all of our individual constituencies. All of us know this. All of us are getting calls from our constituents asking why we are not speaking for Shri Hazare. The BJP is proud of its association in supporting this movement. We stand behind Shri Anna Hazare.

We stand with Shri Anna Hazare and in the event of an assault on his liberty we stand in front of him to protect him.

Madam, as I conclude my speech today, I will say that the most meaningful experience I had was when I went to the Ramlila Maidan to sit with the people in support of this democratic movement. There was an old man who sat next to me. He must have been in his mid to late eighties. He said to me: बेटा, अन्ना हजारे जो हैं, एक व्यक्ति नहीं हैं, एक सोच है और हमारे देश को फिर से महान बनाने के लिए इस सोच की विजय हो, यह हमारे देश के लिए आवश्यक है।

मैं केवल यह बोल रहा हूं कि हम सब लोग यह कल्पना करते हैं कि चाहे कांग्रेस के हों, चाहे हम हों, चाहे वामपंथी साथीं हों, चाहे जो भी हों, इस आंदोलन द्वारा, इस नये रास्ते द्वारा, इस सोच की जीत हो, हमारे देश के नवनिर्माण की जीत हो। धन्यवाद।

■■

Our great sense of resilience is a great strength of our democracy : Arun Jaitley

The Rajya Sabha discussed the issues related to creation of Lokpal on 27 August 2011 in the wake of the movement led by Shri Anna Hazare. Speaking on the occasion Leader of the Opposition in Rajya Sabha Shri Arun Jaitley while emphasising on the role and importance of Lokpal in the centre and Lokayukta in States strongly supported the need for constitution of an effective law to create the institution of Lokpal. We are publishing the full text of his speech for our esteemed readers :

We have just heard a detailed Statement from the hon. Finance Minister on the entire background of the negotiations, leading up to the present situation. We have also just witnessed a great amount of enthusiasm in this House, with a very large cross-section of Members wanting to participate in this debate. This, Sir, itself is an evidence of the sense of responsibility which Members of Parliament really have in responding to the challenges as they emerge before the country. Sir, in the last two weeks, on events arising out of Shri Anna Hazare's fast, this is, actually, the third debate. The first one, I must concede, was confrontationist on the day when Shri Anna Hazare was, unfortunately and regrettably, arrested by the Government. In the second debate earlier this week, we debated with a great sense of maturity, as to how to deal with this larger

problem of corruption and graft in Indian society. It was a little less confrontationist. Today, really, the maturity of all of us and our democracy is on trial. There is a popular agitation or movement going on in the country, which has sent to us a message, very loud and clear, that people of this country are no longer willing to accept the present status quo. The present status quo is that corruption in many areas has almost become a way of life. People in higher positions have a tendency to get away. There are cover ups. They have various instruments and technicalities available to them, where accountability norms are not very high. And, there are low areas of society where the average man has to confront with corruption really almost as a way of life.

We discussed all these areas two-three days ago and therefore I don't intend to repeat them. Sir, in the course of this entire agitation and the debate that it has thrown up in the last few weeks, we have also heard some notso-complimentary statements made about Parliament and MPs. I would only urge my colleagues that our sense of maturity must compel us not to be provoked by anyone of them. It is our actions and how we respond to them which will be the best response of Indian democracy to all these statements which are made.

When we decide it -- and today we are not legislating, we are only deciding the basic parameters of what should be the kind of integrity-institution in India, which is the Lokpal, and, we are also deciding as to which are the areas which must come within its scope and which should be kept outside -- I think we must be guided by two basic principles. The first is, the time has now come to raise the bar of accountability in Indian society. Routine structures have not succeeded till date. They have not responded to the enormity of the challenge that we face. And, the second is that when we think in terms of a scheme as to how to deal with it, we don't overreact or go in for knee-jerk reactions where we find solutions which are not consistent with our constitutional scheme. Therefore, even though I don't think that in this case we are legislating in haste, we must remember that we must be guided

predominantly by two vital considerations which are : the need for probity and the need to coexist with the constitutionalism as far as India is concerned. Sir, the whole concept of a Lokpal was first borne out when the Administrative Reforms Commission in 1966 had recommended the establishment of a Lokpal and a Lokayukta Bill. In fact, it is very little known that at that time the Bill was actually introduced in 1968 by none other than Shri Y.B. Chavan and while introducing the Bill, the Statement of Objects and Reasons was that the efficiency and integrity of public services should be kept in mind. So, this whole question of Citizens Charter or public grievances is not a new concept which is being brought into the system today. This was a part of the concept which was recommended by the Administrative Reforms Commission way back in 1966, and, in the 1968 Bill - 1st May, 1968 to be precise - which Mr. Y.B. Chavan introduced, this concept was very much there. It had two concepts and that perhaps may help Mr. Pranab Mukherjee to find an answer to the questions he has raised before us. Public grievances were a part of it; the concept of Lokayukta in the States was also a part of that 1968 Bill. It is not something which has now been taken out of the hat and suddenly we are confronted with it. In fact, in the report which Mr. Pranab Mukherjee himself authored in 2001 as the Chairman of the Standing Committee, there is an important Preface which I must read to my distinguished colleagues here. It says, "The term "Lokpal" - and I am quoting from the Report - is the Indian version of "Ombudsman." Ombudsman is a Swedish term meaning 'one who represents someone else.' In other words, the term means, 'a grievance-man.' Ombudsman is an official who is appointed to investigate complaints against administration. More specifically, he is an officer who investigates complaints of citizens of unfair treatment meted out to them by Government Departments and suggests remedies thereof, if he finds that the compliant is justified."

Now, 'ombudsman' was a Scandinavian concept and, coincidentally, on 3rd April, 1963, then an Independent young Member of the Lok Sabha, Dr. L.M. Singhvi, in the course of his participation in a debate for having an ombudsman in India, attempted to find out what the Indian equivalent could be, and this word 'Lokpal' was added to our vocabulary, the Hindi vocabulary, by Dr. L. M. Singhvi who translated this word. Now, it is a coincidence that his very distinguished son, Dr. Abhishek Manu Singhvi, now has to prepare the final draft of this Bill. I am sure, he will keep in mind the great heritage, not only his personal, but also of this concept, and strengthen this Bill in order to maintain this very strong heritage as far as this Bill is concerned. In fact, the senior Dr. Singhvi defined the term 'Lokpal' or the 'Lokayukta', which he had coined, as 'the Indian model of ombudsman for the redressal of public grievances'. Now, that answers one of the questions we have squarely raised today, as to what should be the width of the activities as far as the Lokpal in India is concerned.

Now, this Bill, which was first introduced by Shri Y.B. Chavan, was actually passed by the Lok Sabha in 1969 -- this fact is mentioned very rarely in our present discourse -- but because of the split in the Indian National Congress then, the Lok Sabha was dissolved soon thereafter and the Rajya Sabha could not pass this Bill. Otherwise, this country would have had, but for that split of 1969, a Lokpal Act way back in 1969-70, and the entire series of events which have taken place in the last few months would have been really unnecessary because we would have gone about strengthening this institution from day to day.

Sir, I said that we must not legislate in haste. I do not think we are legislating in haste. We worked on nine different drafts of this Bill in 42 years. Democracy cannot be so lethargic a system that it takes 42 years to really develop a consensus as to what a Bill should be. We have almost discussed and debated every aspect of the Bill. Whether the Prime Minister must be covered by the Lokpal or he must not be covered by the Lokpal, and so on, are areas which we have sufficiently covered and, I think, the time has now come when this whole concept of Lokpal at the Centre, as an effective institution, and Lokayukta in the States became a hard reality as far as India is concerned.

Sir, before I come to the specifics, I think, today's debate is not, and should not, be on generalities. The Finance Minister, in his opening statement, has said that earlier there were six questions which he had posed to political parties and now there are three questions which need to be addressed by each one of us so that the sense of the House can be taken. Therefore, the need for today's debate is not that we express ourselves in generalities and just say, 'India needs a Lokpal and it must be a strong and effective Lokpal'. When it comes to the specifics and the nuts and bolts of what those provisions of the Lokpal should be, we skip that part of the debate. I think, today, all of us have to respond to this challenge which the Indian society is posing before us, and that is the strength of Indian democracy. We have to respond to each one of these questions which have been raised, not merely by the civil society but by the people at large today. We must not unnecessarily get into a position that there is the situation of Parliament versus civil society.

Sir, there are two basic principles that we have to keep in mind when we legislate. In any developing society, in any mature society, there will be a role for civil society.

They are hard realities; they will exist. Some of them may take positions which seem a little excessive which may not be implementable. But then we must realize that their role is one of being a campaigner or a crusader or a flag-bearer on several issues. They rise, try and compel the decision-makers to change their views and come on track with their kind of opinion. We have the option of agreeing with them; we have the option of not agreeing with them. The second principle we have to bear in mind is -- and nobody can dispute this -- that Indian Parliament is supreme when it comes to law making. Laws cannot be made anywhere else except in the Indian Parliament. So, even when pressure groups build up pressures in the society, we must concede to them the right to build up pressures but not be provoked by them; we must not lose our sense of rationality as to what we are to accept and what we are not to accept and we must legislate

keeping in mind the basic principles and the values of Indian society both from our conditions, both from our administrative experiences, experiences of our democracy as also our constitutional values. And this is what we are going to endeavour today. What we must not do is to engineer a kind of a confrontation either between Parliament and civil society or Government and civil society. The maturity of Indian polity is that we must not allow ourselves to get provoked and, therefore, we must still keep all rationality in mind and, therefore, legislate accordingly as far as these principles are concerned. Sir, there are several questions that hon. Finance Minister had raised, and I hold his statement. I first come to the original six questions that he had raised. One of the questions he says is, "Should a single Act provide for a Lokpal in the Centre and Lokayukta in the States?" I think you have to answer this question keeping two factors in mind. There is a need for a strong Lokpal in the Centre and there is a need for a strong Lokayukta in the State. The appointment of Lokayukta in States will not be made by the Centre. It will only be made by the mechanism as far as the States are concerned. So, that mechanism must be a State mechanism. Under no circumstances must Centre be seen as appointing or interfering in the Lokayukta of the States. Now, the recent incidents have actually brought a bad name to the institution of Lokayukta where in one of the States we find that the elected Government is completely bypassed and a Lokayukta is appointed. Once these kinds of events take place, then a question will arise in various minds 'Is someone going to use or misuse the institution to fix his political opponents?' Once we succeed in conveying that -- and recent events have conveyed that -- that probably will lead to the death of the Lokpal institution even before it is created because its credibility will be gone and the purpose of its creation will be defeated. So, we must refrain from doing that and not treat this as an adversarial exercise. What is a Lokpal or a Lokayukta supposed to do? When a complaint comes that some public servant or a Minister or a civil servant has indulged in a misconduct, he has to examine

the evidence. He then has to peruse the evidence and decide whether it is a case of misconduct, whether it is a criminal offence or an offence which involves an administrative action. This requires assessment of evidence. Assessment of this evidence can be done by people who have a fair mind. Anybody whose appointment is brought in with a motive or anybody who is not well-versed in the art of assessing evidence, whose investigative or judicial or quasi-judicial abilities are suspect will not be able to do that. Therefore, when we appoint these, we must bear in mind that you need it in both the places.

I think this debate is going to be more candid and upfront than most debates we have had in the Parliament. It is a question which is concerning us also because here, there is a conflict between two principles which arise. The first is that we need higher standards of probity. But, while trying to achieve that, do we compromise with the federal structure? That is the conflict. How do we reconcile it? And, I must straightaway say that I share this concern with the hon. Finance Minister. Various groups of civil society, including members of team Anna, have met us and had detailed discussions with us. Now, if Lokayukta of the State is going to have some powers in the criminal law, their view is that under List III, which is the Concurrent List, Entry 1 and 2, these powers may actually be with the Centre. But, then the Lokayukta's powers are not only restricted to that. It may also go across to taking action against the civil servants and employees of the State Government. So, when you deal with employees of the State Government, who makes a law - the Central Legislature or the State Legislature? Therefore, when I put this question to them, they were also concerned with this fact that we don't want to create a law which may tomorrow be struck down as violation of a federal polity in India because under List II, Entry 41, State Public Services and State Public Service Commission is entirely within the domain of the States. Therefore, any antecedent fact to the State Service, which is action against them, inquiries against them, which the Lokayukta of a State may do, they fall within the

domain of the State Legislature. Therefore, one possible option is that you can legislate on areas where the Central Legislature has jurisdiction. Where you find that the Central Legislature has no jurisdiction, you have two options - either you leave that part to the States or under article 252, with the consent of two States, the Central Legislature can bring an enabling law. It will be binding on those two States, and then, every other State, which passes a Resolution accepting it, it will be applicable to those States. It will become a model law which will be applicable to each one of the States. So, it is an enabling law under article 252 which can be really brought in by the Central Legislature. Both options are available to you. Therefore, when you negotiate with various groups in the civil society, with opposition parties and finally, when Dr. Singhvi's Standing Committee goes into this, I am sure they will have the best of legal advice as to what areas fall within the Central domain and what falls within the State domain so that we are not compromising, in any way, with federalism. But, at the same time, we are able to lay down the highest norms as far as the accountabilities are concerned.

The second question you have raised before the political parties is whether the Prime Minister should be brought within the purview of the Lokpal. Now, we have heard sufficiently both the arguments. The first argument was that India is too large a country. The Prime Minister holds a very sensitive position. The Prime Minister must be kept out of the Lokpal purview because the Prime Minister will be only accountable to the Parliament and the Parliament is always entitled to remove the Prime Minister. But, there are two drawbacks in this argument. The first drawback is that under ordinary law, both your Prevention of Corruption Act, Indian Penal Code and all other penal laws apply to the Prime Minister as much as they apply to any citizen of India. So, any public servant is bound by them. The Prime Minister is also under the purview of those laws. An ordinary police officer, where a complaint is made, or a CBI officer, today can investigate an offence against the Prime Minister. When you are creating a spe-

cial procedural mechanism of a Lokpal, you want to suspend the operation of the substantive law, Indian Penal Code or Prevention of Corruption Act, by saying that this procedure will not apply to the Prime Minister.

That probably does not have much merit and the Government's draft, therefore, must be seriously reconsidered. The Government's draft must be seriously reconsidered because when you say that the Prime Minister will be held accountable only after he ceases to be the Prime Minister, then, the crux of your argument will be that if we find that there is a Prime Minister who is guilty of corruption, we must continue to suffer because of him and hold him accountable only when he ceases to occupy his office. Now, I don't think that the world's largest democracy can afford an experimentation of this kind, and, therefore, a more rational approach on which a larger consensus is emerging today is, you hold the Prime Minister within the purview of this law. People have suggested that there is 2001 Bill formulation, which was approved by Shri Pranab Mukherjee as the Chairman of the Standing Committee. There are several functions of the Prime Minister, which should really not be a matter of scrutiny, namely, his functions relating to intelligence, his functions relating to public order, his functions relating to national security. Maybe, tomorrow, you can include his functions relating to foreign policy. Now, I don't have a complete list as to what can be included and what can be excluded. It is for the Standing Committee to really work on it. You can keep some areas out where larger public interest is involved in keeping them out but today it will be very difficult to sustain an argument that the Prime Minister must only be held responsible after he ceases to be the Prime Minister.

You asked us as to what should be the mechanism for Supreme Court and High Court judges. At the moment, there are two mechanisms for Supreme Court and High Court judges. One is the in-house mechanism, which is a mechanism which has worked in some cases; not worked in some cases, and, the alternative mechanism is impeachment. We have discussed this two

weeks ago in the course of proceedings for removal of a Judge of a High Court, where I had mentioned, and, I see that as a popular sense of the House, that there is a need to create a National Judicial Commission both to deal with grievances and complaints and also to deal with matters of appointments.

The Government's approach, which appears from your statement, is that you want a Judicial Accountability Bill. The civil society is saying that if you want it, please strengthen it. Now, whether you call it a National Judicial Commission or the Judicial Accountability Bill, we have to bear in mind one basic principle that the executive must not interfere in the independence of judiciary. But, at the same time, the task of appointing Judges and judging Judges cannot be left to Judges alone, and, therefore, your original Bill, as was introduced in the Parliament by Mr. Moily, the erstwhile Minister, left it to the Judges alone. Therefore, the present system, which is the in-house mechanism, will become a statutory mechanism. It won't improve the situation. So, unless you are able to seriously consider, and, I suggested to my friends in the civil society who had met us, that it is an important institutional reform, which is required. Therefore, this reform may not be possible in four or ten days. If you have a Lokpal Bill and the House shows concern, we must seriously think of a mechanism like the National Judicial Commission itself, and, I must say in all fairness to the flexibility and approach which the members of this group, including the Team Anna, had, on each one of the issues when we shared our concern with them, their response was quite reasonable.

Similarly, on the conduct of Members of Parliament, on the one hand, you need to check graft and corruption, but on the other hand, you cannot interfere with the privacy of the House. And, therefore, there is a Constitutional mandate in article 105 that if an MP misconducts within a House, a Member of Parliament is liable for action. After all, have we not removed from Membership the Members who have taken Rs. 5,000/-? We removed eleven Members who took only Rs. 5,000/-. Had it

been a case of a Government servant, somebody would have said that it was a very small offence; we could reduce his rank or give him some other punishment rather than throwing him out of his job." Sir, we removed elected representatives for compromising to the extent of Rs. 5,000/-, and, therefore, there is no presumption that the House, when it comes to the probity in relation to the in-house conduct, does not take action.

As far as any impropriety outside the House is concerned, surely, no Member of Parliament can claim any immunity under Article 105. Therefore, the response really would be to a major issue that we include conduct outside the House, as it is included today, and any law we make should be subject to the provisions of Article 105. You said, "What happens to Government servants? Who has a right to take action because of Article 311"? I have put to the members of the civil society who met us and I got an impression that they are agreeable that the powers of the Lokayukt or the Lokpal could be powers of recommending action. Ultimately, protection of Article 311 is that there is a procedure prescribed by which a person holding a civil post in the Union or the State can be removed. There is a procedure prescribed as to who can do it. Now, that Constitutional provision cannot be violated by the Lokpal Act. Therefore, the Lokpal Act is necessarily subject to those Constitutional requirements. There is a serious question and I would only urge that a cross-section of opinion should be examined.

मैं इस संबंध में यह स्पष्ट कर दूं कि जब उन्होंने इसे आरम्भ में बनाया था, तो सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों परिस्थितियों में लोकपाल को अधिकार क्षेत्र दिया था। जब शायद उन्होंने सरकार से बात की और विपक्ष के लोगों से बात की, तो संविधान की धारा 105 में जो एक सीमा है कि सदन के भीतर जो होता है, उसका निर्णय बाहर की कोई एजेंसी नहीं कर सकती, उसके बारे में हम लोगों ने उनको बतलाया। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो तर्क है, वह कोई अपना निजी विचार नहीं है, बल्कि वह संविधान के ऊपर आधारित है। मैं केवल यह कहूंगा कि मुझे इस सुझाव पर उनका Response काफी उत्साहजनक लगा।

Sir, we have made the suggestions and we have tried to persuade, because this is not an adversarial issue, that any Lokpal Bill must necessarily be compatible with Constitutional values. Therefore, it can't violate Article 105; it can't violate Article 311. This is the reasoning. I am sure, they are also very mature people, they understand the significance of what we are saying.

Sir, the sixth question which you had raised was: Can quasijudicial powers be delegated? Now, this is the question which will require a serious examination. I am sure, there are going to be mixed opinions on this because delegation of quasi-judicial and judicial power ordinarily does not take place. But whether it can, in an inquiry process, take place or not; or the power of inquiry can be delegated to the special officers created, this is an area which can be a matter of legislative drafting and which can be worked out.

Sir, you have, towards the end, said that the object of the discussion today is to really address us on three basic questions which are available. I don't think anyone of us should really shy away from responding to those questions because we have a freedom of expression as far as this House is concerned. Our object, while addressing those questions, has to be two-fold - the first has to be that India must get a strong and effective Lokpal and the second is that the current political impasse must get over and Shri Anna Hazare should be requested and persuaded to give up his fast. Whether all employees of the Central Government should be covered by Lokpal or should be split into two?

I think it is a procedural matter. It is not such a major matter that it can break our options to a breaking point. The fact is that all employees and all public servants must be accountable. When we want even the Prime Minister of this country to be accountable, why must we really say that because somebody within the Government is a junior employee should not be accountable? Now what will be that accountability mechanism? You have various options. We have said that please bring them within the Lokpal. Some other civil society groups -- I got some papers from them -

have suggested that if you want a vigilance mechanism, put it under the administrative control of the Lokpal. They suggested an alternative mechanism yesterday. Various kinds of flexibilities are available to you. But the overall overarching supervision of the Lokpal would remain there with regard to all employees of the Central Government. And we think there is considerable merit in accepting that suggestion.

As far as the option of Lokayukta institution in the States is concerned, I have already said that if you find that some areas are not within the domain of the Central Legislature, you can have an enabling law and leave the option with the States.

The last question is: Do we need a grievance redressal mechanism? Sir, we certainly do need a grievance redressal mechanism. आम आदमी की शिकायत होती है कि मैंने राशन कार्ड की दरख्वास्त दी, लेकिन मुझे 6 महीने के बाद भी राशन कार्ड नहीं मिला। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जाता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। अब कई राज्यों ने, जैसे मध्यप्रदेश है, बिहार है, अपने यहां कानून बनाए हैं। उस दिन सतीश जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश ने यह व्यवस्था शुरू की है, पंजाब ने शुरू की है। महोदय, कई राज्यों ने अपने यहां सिटीजंस चार्टर और आम आदमी की grievances से निपटने के लिए कानून बनाने आरम्भ कर दिए हैं और अगर कोई अधिकारी उस चार्ट का उल्लंघन करता है तो उसे किस प्रकार की पेनल्टी लगेगी यह भी उस कानून में लिखा हुआ है। मैं मानता हूं कि एक के बाद एक राज्य इस प्रकार का कानून बना रहे हैं, इसलिए अगर केन्द्र भी इस बारे में सोचे तो यह प्रशासन की दृष्टि से अच्छा कदम होगा। It will be a good step to say that every department of the Government has a charter. This is how grievances of the citizens are to be addressed. If somebody applies for a ration card or a licence or some other permission, 15-30 days should be the period under which it should be disposed of. And if somebody does not dispose of his application within that period, then he will be taken to task for it. It will improve the quality of administration and governance. There is no reason why it can become a politically adversarial group amongst any one of us or between us and the members of the civil society who are suggesting it. It is a step

towards good governance and we must really come out with a procedure which is fair and which appears to be effective.

Sir, there are many other small issues which have been raised. The Government in principle has accepted it. In fact, Shrimati Jayanthi Natarajan headed the Standing Committee which had recommended whistleblower's protection. They want whistleblowers to be given protection under the Lokayukta or the Lokpal. I don't think in principle there can be any difficulty as far as this factor is concerned. There is a grievance that punishment to complainants is very harsh. अगर उन के खिलाफ कोई आदमी शिकायत डालता है और वह अधिकारी भ्रष्ट साबित होता है तो उस को सजा हो जाती है, लेकिन उस अधिकारी की सजा कम है और अगर complaint गलत निकलती है तो उस आदमी की सजा ज्यादा है। यह बात तो उन की जायज है। मुझे लगता है कि इस कानून को बनाने में कहीं–न–कहीं कोई oversight हुई है जिसके बारे में हम सब को दोबारा सोचना चाहिए।

There is one subject where I want to sound a little discordant note. We are creating an institution where we say that the Prime Minister should be included in it, every Chief Minister should be there, and every Minister should be there. And MPs, Secretaries of the Government of India, and the Cabinet Secretary would be covered by this law. There is a suggestion that the authority will be entitled to tap phones of these people if it receives a complaint. I think in the last few years, we have been making a mockery out of our democracy by really making phone-tapping in this country to be virtuous. How can somebody tap the Prime Minister's phone? The argument is that it is being tapped because there may be an evidence of bribery. Well, there are thousands of conversations which Ministers or the Home Minister or the Finance Minister or a Chief Minister may be having with the Prime Minister. He may be discussing something with the Secretary, RAW. He may be discussing something with the Director, IB.

He may be discussing something with regard to other serious matters with the Army Chief or the Foreign Secretary. Are we going to create institutions which are now entitled to start tapping

phones of even the Prime Minister, Ministers and other senior functionaries? We have a judgment of the Supreme Court which is a very well considered judgment. We have provisions in the Indian Telegraph Act that only to the extent it involves national security or it involves prevention of commission of some serious offence, you can do it. I think this power should be exercised with great caution because in the process of creating an anti-graft institution, we should not compromise with any tenets of Indian democracy which allows institutions to start interfering to this effect. When members of the civil society met us, I conveyed to them that this is one area where I would beg to disagree with them even while supporting them on most other areas that they have said and they must seriously reconsider a proposal where an authority which covers the Prime Minister and other senior functionaries of the State is not entitled to start bugging their telephones. We can't make a virtue out of this and this is one area where I am sure the drafting committee will make a serious issue.

Finally, Sir, I have two points. You have asked us on these three specific questions in order to resolve the impasse. I think, there is considerable merit in including the entire bureaucracy. There is considerable merit in either enabling or otherwise, subject to the legal advice you get, going ahead with establishment of Lokayukta in the States. And there is also considerable merit - in fact, there is far greater merit - in having a grievance charter or a mechanism as far as the country is concerned.

Finally, Sir, one great strength of Indian democracy is that we have protests, we have crisis, we have confrontations, but then, we also have a great sense of resilience. We show an extraordinary amount of maturity in resolving every crisis and emerging stronger out of any crisis. I am sure that today would be a very important day for us when we show and display that sense of resilience and are able to resolve these issues which are confronting us. Thank you very much.

■■

राज्य सभा

लोकपाल बिल बनाकर राजनीतिक विश्वसनीयता बहाल करें : शांता कुमार

गत 27 अगस्त 2011 को राज्यसभा में ''लोकपाल गठन'' पर हुई व्यापक चर्चा के दौरान भाजपा सांसद श्री शांता कुमार द्वारा दिए गए भाषण का पूरा पाठ–

उपसभापति महोदय, आज देश इतिहास के एक विकट मोड़ पर खड़ा है और हमारी तरफ सबकी नजरें लगी हुई हैं। हमारा आज का और आने वाले कुछ दिनों का निर्णय इस देश के भविष्य को एक नई दिशा देगा। आज इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के विरूद्ध गुस्सा चरम सीमा पर है, क्योंकि भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड टूट गए हैं। आज पूरा देश सड़कों पर आ गया है और देश की जवानी भी सड़कों पर आ गई है। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण पिछले कुछ वर्षों का इतिहास, पिछले कुछ वर्षों की परिस्थितियां हैं। इनके कारण प्रत्येक व्यक्ति त्रस्त है, परेशान है और दुखी है। वह इसका कोई समाधान चाहता है।

देश आजाद हो गया, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन गरीबी भी बढ़ रही है। आज स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद, गरीब और अमीर के बीच में बढ़ती हुई खाई पर राष्ट्र संघ की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग हिन्दुस्तान में रहते हैं। गरीबी बढ़ रही है, अमीरी बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, अन्याय बढ़ रहा है, जिसके कारण आम आदमी दिन–प्रतिदिन परेशान होता चला गया। इससे एक और बात पता लग गई कि इस गरीबी, इस विषमता, इस परेशानी,

इस महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। एक और मैसेज चला गया कि आज की व्यवस्था भ्रष्टाचार को खत्म करने में ईमानदार नहीं है, इसलिए आज पूरे देश में एक भयंकर असंतोष है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन को, संसद को यह एक बहुत बढ़िया मौका मिला है कि यह जो एक विश्वास का संकट पूरे देश में पैदा हो गया कि लोकपाल बिल पास करें, भ्रष्टाचार खत्म करने में पहल करें, यह बहुत आवश्यक है, लेकिन सबसे आवश्यक यह है कि पूरी राजनीति व्यवस्था पर जो अविश्वास पैदा हो गया है, नेताओं के प्रति, पार्टियों के प्रति लोगों के क्या विचार आए हैं, मैं उस पर सबसे जरूरी यह समझता हूं कि हमको इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। यह जो एक crisis of confidence Political System के बारे में पैदा हो गया है, इस किस्म का आंदोलन सन् 75 में भी पैदा हुआ था, तब उसका नेतृत्व राजनीति कर रही थी। यह आज भी हो रहा है, लेकिन राजनीति कहीं नजर नहीं आ रही है। इस फर्क को देखना चाहिए। राजनीति पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। राजनीति irrelevant होती चली जा रही है। इसमें आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीति पर, राजनैतिक व्यवस्था पर जो अविश्वास बढ़ रहा है, उसे बहाल करने का एक सुनहरी मौका है, हमको जिसका फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि, भ्रष्टाचार केवल भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार कुछ लोगों को बहुत अमीर बना देता है, कुछ लोगों को लूटने का लाइसेंस दे देता है। भ्रष्टाचार कुछ लोगों को बहुत गरीब बना देता है, जिसके कारण आर्थिक विषमता बढ़ती है, आर्थिक विषमता बढ़ती है तो अपराध बढ़ता है और उसके साथ–साथ नक्सलवाद बढ़ने का भी एक बहुत बड़ा कारण यही है। योजना आयोग ने जो Expert Group बिठाया था, उसकी report में साफ कहा गया है कि यह नक्सल गलियारा गरीब गलियारा है, गरीबी के कारण, आर्थिक विषमता के कारण। आज का यह संकट, जो भ्रष्टाचार के कारण पैदा हुआ है, इससे एक और विश्वास लोगों के दिलों में चला गया कि आज की व्यवस्था भ्रष्टाचार खत्म करने में ईमानदार नहीं है, इसलिए लोग सड़क पर आ गए। कोई पार्टी इसके पीछे नहीं है। हम कुछ भी

कहें, यह आम आदमी, जिस आम आदमी के नाम पर यह सरकार बनी थी, वह आम आदमी दुखी है, त्रस्त है, परेशान है, उसका वर्तमान व्यवस्था पर विश्वास समाप्त हो गया है, वह सड़क पर आ गया है। अगर वर्तमान व्यवस्था पर विश्वास समाप्त होगा तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, इसलिए उस विश्वास को बहाल करना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि किस ढंग से विश्वास खत्म हुआ। यहां दिल्ली में, हमारी नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे, 2जी स्पेक्ट्रम हो, चाहे गेम घोटाला हो, जो कुछ भी होता रहा, उसमें हमने किस ढंग से विश्वास खोया है। उपसभापति जी, ऐसा शोर मच रहा है कि विदेशी बैंकों में बहुत पैसा है। पुणे का एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसके 1,34,000 करोड़ के खाते विदेशी बैंकों में हैं, यह इन्कम टैक्स की जांच के बाद पता लगता है और सात साल तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। विश्वास कैसे बनेगा? कौन इस देश की व्यवस्था पर भरोसा करेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट समय पर दखल नहीं देती तो जो थोड़ी–बहुत कार्यवाही हुई है, वह भी नही होती।

वह 1,34,000 करोड़ रूपए कैसे विदेशों में ले गया, सरकार ने उससे नहीं पूछा। उस पर कर चोरी का मामला बनाया, उसको बचाया गया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। विश्वास बिल्कुल टूट गया है। विदशी बैंकों में 100 लाख करोड़ रूपए हैं, 300 लाख करोड़ रूपए हैं, कई चर्चाएं हो रही हैं। बहुत से लोग इसके बारे में अपने authoritative आंकड़े दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया के ऊपर दबाव डाला, टैक्स हेवन कही जानी वाली कन्ट्री पैसा वापस लौटा रही हैं। मुझे याद है कि हम एक delegation के साथ न्यूयॉर्क गए थे और जिस दिन सभा में यूनाईटेड नेशनस कन्वेंशन अगेन्स्ट क्रप्शन पर बहस थी, मैं भी वहां मौजूद था। यह कितनी हैरानी की बात है, इस देश की सरकार ने विश्वास को किस ढंग से तोड़ा है। यूनाइटेड नेशंस ने 192 देशों के साथ मिल कर एक कानून बनाया, संधि बनाई और उसका फंडामेंटल यह है कि अगर किसी देश के लोगों का पैसा, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा दूसरे देश में है, तो वह वापस लाया

जाए। वह संधि हो गई। एक बहुत बड़ी international Treaty है। दुनिया के देशों ने पैसा वापस लेना शुरू कर दिया, मगर भारत सरकार ने उसको तंजपलि करने में 6 साल लगाए। मैं वहां पर मौजूद था। स्विटजरलैंड के प्रतिनिधि ने अपने भाषण में कहा कि हम पैसा वापस देना चाहते हैं। उसने कहा कि आपके देशों की stolen property हमारे पास है, हम इसे लौटाना चाहते हैं। स्विटजरलैंड के प्रतिनिधि ने कहा, मेरे पास उसके भाषण की प्रति है, जो उसने वहां दिया था, मैं उसे पढ़ कर समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इस भाषण में स्विटजरलैंड का प्रतिनिधि यह कहता है कि हमने यूनाइटेड नेशंस की इस treaty पर हस्ताक्षर किए, हमने इसे ratify किया। इतना ही नहीं, उसने कहा कि हमने अपने देश के पार्लियामेंट का विशेष कानून बनाया है, ताकि दुनिया के देशों के लोग हमारे बैंको से पैसा वापस ले सकें। जब मैं वहां था, तो हमने तंजपलि भी नहीं किया था। मैंने वापस आकर प्रधानमंत्री जी को भाषण की यह प्रति भेजी। मैंने कहा कि जिस देश में हमारे देश के 70 लाख करोड़ रूपए जमा हैं, उस देश के प्रतिनिधि ने मरे सामने कहा कि हम यह पैसा वापस करना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार ने आज तक वह पैसा वापस लेने की कोशिश नहीं की। अमेरिका पैसा वापस ले रहा है, दुनिया के 10 देश पैसा वापस ले रहे हैं, लेकिन भारत पैसा वापस नहीं ले रहा है। मैं यह कह रहा हूं कि विश्वास टूटा है। लोगों के मन में यह विश्वास है कि हमारी गरीबी, हमारी परेशानी, हमारी भुखमरी का कारण भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यह व्यवस्था, यह सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए बड़ी बेताबी के साथ, बड़ी परेशानी के साथ, देश की सारी की सारी जवानी आज सड़क पर है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस विश्वास को बहाल करने का एक मौका आया है। अन्ना हजारे जी ने ऐतिहासिक काम किया है।

उन्होंने इसका नेतृत्व किया है। मैं अन्ना हजारे जी से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब जबकि लगभग हम सब लोगों ने उनको विश्वास दिलाया है और हमारी पार्टी ने इस कानून की जो व्यवस्था

है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, हमने उसको support किया है, लकिन मैं सभी पक्षों से कहना चाहता हूं कि इसे कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं, इसे कोई महव का प्रश्न न बनाएं, बल्कि पूरी सहमति जल्द–से–जल्द बनाएं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यह असाधारण परिस्थिति है। यह कहा जा रहा है कि कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, अधिकार निश्चित है, लेकिन 43 साल तक हमने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया, इसका भी कोई जवाब नहीं है। इसलिए औपचारिक तौर पर यह कहना चाहिए।

अन्त में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि कल यह कहा गया कि केवल इससे भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, तो और जो करना है, करिए न, रोको किसने रोका है आपको? और भी करिए।

हांगकांग 30 साल पहले दुनिया के महादुष्ट देशों में था। उसने independent Commission Against Corruption बनाया। उस independent कानून के कारण आज हांगकांग का नाम दुनिया के ईमानदार देशों में आ गया है।

इसलिए इस पर सहमति बने, मेरा यह निवेदन है। उनका अनशन टूटे, यह मेरा निवेदन है। हम सब इस बुनियादी सवाल पर कि पूरे के पूरे समाज के अन्दर हमारी जो credibility erode हो रही है, लोकपाल बिल बना कर उसको बहाल करें। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

■■■